न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/141/2024	2024/249	24.10.2024	22.07.2025

1. रामप्रताप यादव पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण सिंह यादव जाति अहीर, निवासी मकान नम्बर 8/9, एन.ई.बी. हाउसिंग बोर्ड, अलवर, राजस्थान सी/ओ अनिल मेडिकल, मकान नम्बर 2/126, एन.ई.बी. हाउसिंग बोर्ड अलवर, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।
2. श्रीमती शकुन्तला पत्नि श्री रामप्रताप यादव, जाति अहीर, निवासी मकान नम्बर 8/9, एन.ई.बी. हाउसिंग बोर्ड, अलवर, राजस्थान सी/ओ अनिल मेडिकल, मकान नम्बर 2/126, एन.ई.बी. हाउसिंग बोर्ड अलवर, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. उमेश कुमार यादव पुत्र श्री रामप्रताप यादव, जाति अहीर, निवासी मकान नम्बर 8/9, एन.ई.बी. हाउसिंग बोर्ड, अलवर, राजस्थान।
2. राजवती यादव पत्नि श्री उमेश कुमारयादव, जाति अहीर, निवासी मकान नम्बर 8/9, एन.ई.बी. हाउसिंग बोर्ड, अलवर, राजस्थान।
3. राजस्थान राज्य जर्ये सरकारी पैरोकार।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर निर्णय दिनांक 30.06.2022 प्रकरण संख्या 3/35/2022 अंतर्गत माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण—पोषण अधिनियम 2007

उपस्थितः—
01. अपीलाण्ट्स स्वयं
02. श्री राजेश गुप्ता

—वकील रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 व 2

—:: निर्णय ::—

अपीलाण्ट्स द्वारा अपील विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर के निर्णय दिनांक 30.06.2022 प्रकरण संख्या 3/35/2022 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी कर तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया। रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। अपीलाण्ट स्वयं की मौखिक एवं लिखित बहस व रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट्स ने अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मकान नं. 8/9 एनईबी हाउसिंग बोर्ड अलवर प्रार्थी को राजस्थान आवासन मण्डल अलवर द्वारा दिनांक 22.10.1996 को आवंटित हुआ था जो कि प्रार्थी ने अपनी आप से खरीदा था तथा निर्माण कराया था। अपील माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है, जो कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.06.2022 के विरूद्ध है। जो अपील पेश करने में देरी हुई वह अप्रार्थीगण द्वारा वादा करने तथा विश्वास दिलाने के कारण हुई हैं, इसमें मिन अपीलाण्ट्स की कोई बदयान्ती नहीं है, जो देरी क्षमा किये जाने योग्य है। देरी क्षमा के लिए अलग से प्रार्थना पत्र पेश है।

अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर राजस्थान के निर्णय दिनांक 30.06.2022 के विरूद्ध होने के कारण न्यायालय श्रीमान द्वारा श्रवण योग्य है। उमेश कुमार तथा राजवती पत्नी उमेश कुमार द्वारा अपीलाण्ट्स (वृद्ध दम्पत्ति) को मारने का षडयंत्र रचने, अति दुर्व्यवहार करने तथा मकान 8/9 एनईबी हाउसिंग बोर्ड अलवर को अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाने और मारने की धमकी देने के कारण अपीलाण्ट्स ने छोटी पुत्रवधू अनिता यादव पत्नी अनिल कुमार जो पिछले 22 वर्ष से प्रार्थीगण की सेवा कर रहे हैं, को मकान 8/9 एनईबी हाउसिंग बोर्ड अलवर का अनिता के नाम रजिस्टर्ड दानपत्र से नाम कर दिया है। हमसें झगड़ा करने लगे तो मैंने तथा अनिता ने दिनांक 05.04.2022 तथा 07.04.2022 को वकील के माध्यम से खाली करने का नोटिस भिजवाया जिसका जवाब रेस्पो0 ने आज तक नहीं दिया।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

रेस्पो0 द्वारा अपीलाण्ट्स के साथ झगड़ा करने के कारण 13.04.2022 को पुलिस थाना एनईबी अलवर में दस्ती रिपोर्ट की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तत्पश्चात् दिनांक 26.04.2022 को रजिस्टर्ड डाक से श्रीमान एसपी अलवर को शिकायत दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 27.04.2022 को अपीलाण्ट्स ने अलवर भारकर अखबार के माध्यम से उमेश कुमार व अन्य को अपनी सम्पत्ति से बेदखल कर दिया। दिनांक 19.05.2022 को अपीलाण्ट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को अन्तर्गत माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत आवेदन किया, जिसका निर्णय दिनांक 30.06.2022 को दिया गया।

अपीलाण्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अलवर को दिनांक 11.10.2023 को प्रस्तुत किया, जिसको थानाधिकारी पुलिस थाना एनईबी अलवर को कार्यवाही हेतु भेजा गया, थानाधिकारी पुलिस थाना अलवर ने कार्यवाही करने के बजाय दिनांक 09.11.2023 को एक इस्तगासा प्रस्तुत किया, जिसका प्रकरण संख्या 1778 दिनांक 22.11.2023 को उप जिला मजिस्ट्रेट अलवर में दर्ज किया गया तथा प्रत्येक माह पेशी लगने तथा नोटिस वितरण होने के बावजूद उमेश कुमार व अन्य पेशी पर उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात् उपजिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा दिनांक 16.08.2024 को जमानती वारन्ट जारी करने पर दिनांक 03.09.2024 को नियत पेशी पर उपस्थित होकर जमानत करवायी तथा उमेश कुमार ने एसडीएम महोदय अलवर से वादा किया कि आदेश दिनांक 30.06.2022 की सौ फीसदी पालना की जायेगी लेकिन अपीलाण्ट्स को मकान में रहने पर तंग परेशान किया जा रहा है।

रेस्पो0 द्वारा जोधपुर (राजस्थान) में 200 वर्गगज तथा रेवाडी (हरियाणा) में 500 वर्गगज के मकान बनाये गये हैं। अपीलाण्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 12/189/2022 दिनांक 19.12.2022 को उक्त प्रकरण न्यायालय श्रीमान को प्रस्तुत किया गया था, उस वक्त रेस्पो0 ने वादा किया था कि रेस्पो0 मकान खाली कर देंगे और अपीलाण्ट्स के कहे अनुसार ही कार्य करेंगे। इसलिए दिनांक 10.04.2023 को अपीलाण्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र वापिस ले लिया गया था लेकिन करीबन डेढ वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद रेस्पो0 द्वारा मकान खाली करना तो दूर की बात है, मारपीट व झगड़ा करते हैं। उपजिला मजिस्ट्रेट अलवर, राजस्थान क्रमांक न्याय/विविध/2024/693 दिनांक 18.09.2024 थानाधिकारी पुलिस थाना एनईबी अलवर को आदेश निर्णय दिनांक 30.06.2022 की पालना हेतु पत्र भेजा है लेकिन रेस्पो0 नहीं आ रहे हैं जबकि दिनांक 30.09.2024 को नियत पेशी पर उमेश कुमार ने स्वयं उपस्थित होकर एसडीएम महोदय अलवर के सामने आदेश की सौ फीसदी पालना करने का वादा किया था, परन्तु अब पुलिस के बुलाने पर भी नहीं आ रहा है। रेस्पो0 को उनके वकील एवं सलाहकारों ने सीधा सा फण्डा समझा रखा है कि अधिकारी के सामने हाँ कहना है और बाहर निकलकर गुण्डागर्दी करना है। अपीलाण्ट्स (वृद्ध दम्पत्ति होने के काइण) जवाब रेस्पो0 का मुकाबला नहीं कर सकते हैं।

अपीलाण्ट्स आपस में पति पत्नि है एवं वृद्ध दम्पत्ति है। अपीलाण्ट्स रेस्पो0 संख्या 01 के जन्मदाता माता पिता है तथा रेस्पो0 संख्या 02 के सास ससुर हैं। रेस्पो0 आपस में पति पत्नि हैं। रेस्पो0 कोई टहल सेवा चाकरी नहीं करते हैं तथा कई बार रेस्पो0 द्वारा हम प्रार्थीगण के साथ मारपीट करघर से निकाल भी चुके हैं तथा बामुश्किल भाई बंध रिश्तेदारों के समझाईश पर मानते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात् पुनः झगडा फसाद पर आमादा हो जाते हैं एवं रेस्पो0 अपीलाण्ट्स को दो समय की रोटी भी नहीं देते हैं। रेस्पो0 संख्या 02 अपीलाण्ट्स से गाली गलौच करती रहती है तथा झगडा फिसाद करती रहती है तथा मारपीट करती है घर से धक्का देकर निकालने की धमकी देती है। रेस्पो0 लालच के कारण वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं बल्कि जान से मारने कोशिश करते हैं। उपरोक्त प्रकार से रेस्पो0 को पाबन्द किया जाकर रेस्पो0 को अपीलाण्ट्स की जायदाद आवासीय मकान से बेदखल कर कब्जा दिलाया जाना एवं रेस्पो0 से प्रत्येक अपीलाण्ट्स को 10–10 हजार रूपये प्रतिमाह भरण पोषण के दिलाया जाना न्यायसंगत है। रेस्पो0 संख्या 01 भारतीय रेल विभाग में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत है तथा पौन दो लाख रूपये मासिक वेतन व भत्ता मिलता है।

हम अपीलाण्ट्स के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवासीय मकान नम्बर 8/9, एनईबी हाउसिंग बोर्ड अलवर राजस्थान से बेदखल कर कब्जा दिलाया जावे एवं प्रत्येक अपीलाण्ट्स को रेस्पो0 से 10–10 हजार रूपये कुल 20 हजार रूपये नियमित रूप से भरण पोषण राशि दिलाई जावे तथा उन्हें पाबन्द किया जावे कि वो अपीलाण्ट्स को किसी भी जायदाद से जबरन बेदखल कर कब्जा न करे तथा ना ही अपीलाण्ट्स को किसी प्रकार से तंग व परेशान करे तथा ना ही मारपीट आदि करे ना ही अपीलाण्ट्स की कृषि भूमि व आवासीय जायदाद के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहत पैदा करे एवं खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

रैस्पो0 सं0 1 व 2 ने लिखित जवाब अपील प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में मातहत न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें उत्तरदाता द्वारा सम्पूर्ण जवाब पेश किया गया था जिस जवाब में उत्तरदाता द्वारा दर्ज किया गया था कि अप्रार्थीगण दिनांक 19.7.1994 के पश्चात से ही मकान नं. 08/09, एनईबी हा. बोर्ड, अलवर में निवास करते चले आ रहे है। उक्त मकान नं. 08/09 आपसी पारिवारिक बाहमी बंटवारानामा में दिनांक 10.3.2017 को तन्हा रूप में रेस्पोडेन्ट सं. 1 को प्राप्त हुआ था। अपीलान्ट मकान नं. 08/09 में रिहायश नहीं करते है। अपितू अपीलान्ट अपने छोटे पुत्र अनिल कुमार के साथ बाहमी बंटवारे में उसके हिस्से में आए मकान सं. 2/126 एनईबी, अलवर में निवास करते है तथा अनिल कुमार के कहे अनुसार आचरण व व्यवहार करते है। अपीलान्ट, जनवरी 2022 से ही अपने छोटे पुत्र अनिल कुमार के साथ निवास करते है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 जो कि अपीलान्ट का बडा पुत्र है, जो वर्ष 1990 से ही नौकरी करता है और अपनी समस्त आय अपने पिता जोकि हिन्दू मुश्तर्का खानदान के मूल कर्ता है, को प्रदान करता था, जिस आय से अचल समपत्तियाँ खरीद की गई। अपीलान्ट सं. 1, मिन रेस्पोडेन्ट सं. 1 व अन्य भाई अनिल कुमार व प्रेम कुमार के मध्य दिनांक 10.3.2017 को आपसी रजामंदी से बाहमी बंटवारानामा हुआ था जिसमें उक्त मकान नं. 08/09, मिन रेस्पोडेन्ट सं. 1 को तथा ग्राम मंगलपुर व ग्राम मांढण स्थित आराजी में 1/4 हिस्सा इसी प्रकार अपीलान्ट सं. 1 को ग्राम मंगलपुर व मांढण की आराजी में 1/4 हिस्सा व 200 फुट रोड़, अलवर में स्थित व्यावसायिक जायदाद तथा छोटे भाई अनिल कुमार को ग्राम मंगलपुर व मांढण की आराजी में 1/4 हिस्सा व मकान सं. 2/126, एनईबी, अलवर प्राप्त हुआ तथा अन्य भाई प्रेम कुमार को ग्राम मंगलपुर व मांढण की आराजी में 1/4 हिस्सा व दिल्ली में स्थित अपार्टमेन्ट व फ्लैट प्राप्त हुआ था।

अपीलान्ट सं. 1 काफी समय से अपने छोटे पुत्र अनिल कुमार यादव व उसकी पत्नी अनिता के बेजा प्रभाव में आए हुए है जो अनिल कुमार, मिन रेस्पोडेन्ट के हिस्से में आई हुई आराजी को भी हडपना चाहता है, जिस कारण से उसने पिता रामप्रताप यादव से एक दान पत्र मकान नं. 08/09 का अपनी पत्नी अनिता यादव के नाम करवा लिया जिसको मिन रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा सक्षम दीवानी न्यायालय में चुनौती दी हुई है। अपीलान्ट द्वारा मातहत अदालत में पेश प्रार्थना पत्र में अपना हाल पता मकान नं. 2/126, एनईबी, अलवर दर्ज किया गया था, जिससे यह बात साबित होती है कि अपीलान्ट अपने छोटे पुत्र अनिल कुमार यादव के साथ मकान नं. 2/126 में निवास करते है। प्रार्थना पत्र पेश करने के पूर्व से ही अपीलाण्ट्स उक्त मकान में निवास करते चले आ रहे है। मकान नं. 08/09 एनईबी हा. बोर्ड, अलवर का दान पत्र अपीलान्ट सं. 1 द्वारा अनिता यादव के पक्ष में दिनांक 24.1.2022 को किया गया है, जिसके सम्बन्ध में वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है।

अपीलान्ट ने माननीय अपीलीय न्यायालय में झूठे व मनगंढत तथ्यों मिन रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को तंग व परेशान करने की मंशा से कुल कार्यवाही अमल में लाई गई है। अपीलान्ट सं. 1 भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी है, जिसे मासिक रूप से कम से कम 30,000/– रूपये पेन्शन प्राप्त होती है एवं अनिल कुमार यादव के साथ मैडिकल स्टोर संचालित करते हैं जिससे वो कम से कम 20,000/– रूपये मासिक की आय अर्जित करते है। संयुक्त हिन्दु खानदान की पैतृक आराजी वाके ग्राम मंगलपुर व मांढण से अपीलान्ट सं. 1 को मासिक रूप से कम से कम 10,000/– रूपये की आय होती है। वर्ष 2000 में अपीलान्ट सं. 1 को करीब 10,00,000/– रूपये की बडी राशिं प्राप्त होती है जिससे वो वर्तमान में करीब 10,000/– रूपये मासिक ब्याज राशि प्राप्त करते है। इस प्रकार अपीलान्ट के पास मासिक रूप से कम से कम 70,000/– रूपये की आय होती है, जिस आय के स्त्रोत को छिपाते हुए माननीय न्यायालय में कुल कार्यवाही अमल में लाई गई है।

अपील हाजा में मकान नं. 08/09, एनईबी हा. बोर्ड, अलवर से मिन रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को बेदखल करने की इस्तदुआ की गई है, जबकि उक्त मकान की बाबत अपीलान्ट द्वारा पूर्व में एक दान पत्र अपनी छोटी पुत्रवधु अनिता के नाम किया जा चुका है जिस दान पत्र को सिविल न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा चुनौती दी हुई है। दान पत्र निष्पादित करने की दिनांक 24.1.2022 के उपरान्त से ही उस पर अपीलान्ट सं. 1 का कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहा है। तहत न्यायालय में भी अपने आदेश में इस तथ्य को माना है कि प्रश्नगत मकान का दान पत्र अपनी पुत्रवधु अनिता यादव के नाम अपीलान्ट सं. 1 द्वारा निष्पादित किया गया है जिस तथ्य को छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, प्रश्नगत मकान से अपीलान्ट के अधिकार समाप्त हो चुके है, जिस कारण से अपीलान्ट अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों पर गौर फरमाते हुए अपीलान्ट द्वारा पेश अपील मय हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाने की कृपा करें।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलाण्ट की मौखिक/लिखित बहस व रैस्पोडेण्ट विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया जाकर कानून की मंशा देखी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया गया अपीलाण्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2022 के विरूद्ध दिनांक 21.10.2024 को अपील पेश की है और जानकारी की दिनांक 12.12.2022 को हुई विलंब की अवधि को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया गया रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थना पत्र दफा 05 का जवाब पेश नहीं किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा पारित निर्णयों में मियाद के बिन्दु पर गौर न किया जाकर गुणावगुण पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होना है। माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलंब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलाण्ट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के निर्णय दिनांक 30.06.2022 के संबंध में अनुतोष हेतु निवेदन किया गया है कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार कर अपीलाण्ट्स के मकान नं. 8/9 एन.ई.बी. हाउसिंग बोर्ड अलवर से रेस्पो0 को बेदखल कर मिन अपीलाण्ट्स को हर माह 10–10 हजार रूपये कुल 20 हजार रूपये मासिक भरण–पोषण की राशि दिलवाई जावे। रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब को दोहराते हुए इस न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में कथन किया है कि अपीलाण्ट्स को प्रश्नगत मकान राजकीय अवासन मण्डल द्वारा अलाट किया गया। उक्त प्रश्नगत मकान को अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी पुत्र वधु अनिता यादव पत्नी अनिल कुमार के हक में दान पत्र पूर्व में निष्पादित कर दिया गया जिसका वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन में पाया है कि प्रकरण मकान से बेदखली का प्रतीत होता है। उक्त अधिनियम भारतीय समाज के रीति रिवाजों पर आधारित है और व्यक्तिगत झगडे को सुलझाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए एवं ना ही उक्त बिन्दू पर वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत किसी प्रकार का निर्णय किया जा सकता है। अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपने परिवाद में भरण–पोषण एवं विवादित मकान सं. 8/9 एन.ई.बी. हा0 बोर्ड अलवर से रेस्पो0 की बेदखली चाही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अधिनियम की धारा 23 में वर्णितानुसार बेदखल किया जाना उचित नहीं माना गया। अधिनियम की धारा 23 मौजूदा प्रकरण व पारिवारिक घटनाक्रम पर चस्पा नहीं होती है। उक्त अधिनियम की धारा 23 में बेदखली (Eviction) का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। पक्षकारों के मध्य उक्त विवादित मकान के संबंध में पक्षकारों के अधिकार सिद्ध होने हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम 2007 निर्दिष्ट विधि अनुसार पारित निर्णय दिनांक 30.06.2022 उचित प्रतीत होता है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अपील अपीलाण्ट्स खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर का निर्णय दिनांक 30.06.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अलवर (राजस्थान)